

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

1. दरिया पुत्री यारू खां पत्नी मोहम्मद नवाज जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. फैजा पुत्री यारू खां पत्नी आमीन खां जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)

.....प्रार्थीगण.....

वनाम-

1. इमाम सैन पत्नी अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मदीना पत्नी इस्माईल जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. दादू खां पुत्र यारू खां जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. जिक्रा पुत्री यारू खां पत्नी हाजी यासीन जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. गुलामा पुत्री यारू खां पत्नी कुदरत अली जाति मुसलमान निवासी प्रेम नगर वार्ड नं. 28, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

- उपस्थिति - 1. श्री साहिब बाघला वकील प्रार्थीगण
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 223/2015

निर्णय दिनांक -26.11.2024

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से वाके चक 7 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 22 प.नं. 235/393 का किला नं. 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.327 है. भूमि कमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी लगातार.....2

1



(2)

संख्या 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को विरास्तन में प्राप्त हुई है। जो कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता यारू खां के नाम से थी। प्रार्थीया के पिता यारू खां का देहान्त हो जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के पति/पिता व अप्रार्थी संख्या 3 तथा प्रार्थीगण की माता इलाईया पत्नी यारू खां ने अपने नाम से दर्ज करवा ली एवं प्रार्थीगण की माता इलाईया का देहांत हो जाने व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता अलाबक्श का देहान्त हो जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने नाम से प्रार्थीगण को धोखा में रख कर एवं फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेजों के जरिये विरास्तन में दर्ज करवा ली है। चूंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि से दूर अपने ससुराल में निवास करती है वं भूमि को प्रार्थीगण के भाई दादू खां अप्रार्थी संख्या 3 व अलाबक्श के द्वारा ही काश्त किया जाता था। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को हिस्सा ठेका फसल व नगदी आदि के रूप में अदा किया जाता था। प्रार्थीगण के द्वारा कई बार अप्रार्थीगण को उक्त भूमि सभी वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज करवाने का कहा जाता तो अप्रार्थीगण ने आश्वासन दिया कि भूमि सभी वारिसान के नाम से दर्ज करवा दी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विश्वासपूर्ण सम्बन्ध होने के कारण उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब इस्माईल का देहान्त हो जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 जो कि इस्माईल की पत्नी है के द्वारा कोई हिस्सा/ठेका राशि अदा नहीं की गई जबकि अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा हिस्सा/ठेका राशि अदा की जाती रही। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 से अपनी हिस्सा ठेका राशि की मांग की तो प्रथमतः शोकग्रस्त होन व घरेलु खर्च अधिक होने का बहाना बनाकर आगामी वर्ष राशि इकट्ठा अदा करने का कहा। परन्तु आगामी वर्ष भी जब अप्रार्थी संख्या 2 ने कोई हिस्सा ठेका राशि अदा नहीं की तो प्रार्थीगण ने मौतवीरान व्यक्तियों के साथ एक पंचायत की तो पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को हिस्सा/ठेका देने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि हमने तो उक्त भूमि अपने नाम से करवा ली है। अब तूम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ना तो जमीन खाली करेगे और ना ही तुम्हे कोई हिस्सा ठेका अदा करेगे। जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण को वारिस ना दिखा कर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली है। जबकि विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। इसलिए प्रार्थीगण स्वयं को विवादित भूमि में 2/6 हिस्सा की संयुक्त खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाते हुए भूमि किस्म अनुसार किला वाईज विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि किस्म अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करवाने की विधिक अधिकारी है। एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 से प्रचलित दर से पिछले दो वर्षों का हिस्सा/ठेका राशि एवं जब तक प्रार्थीगण का 2/6 हिस्सा का विभाजन होकर कब्जा प्रार्थीगण को नहीं दिया जाता तब तक अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त किये जा रहे नाजायज लाभो क लिए प्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि की हद तक मिन्स प्रोफिट प्राप्त करने की अधिकारी है। तथा उक्त भूमि पर तहसीलदार श्री विजयनगर को रिसीवर नियुक्त करने तथा अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया।

लगातार.....3



(3)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने बाद तामील नोटिस कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 7 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 22 प.नं. 235/393 का किला नं. 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.327 है. भूमि कमाण्ड खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण के नाम से जरिये वारिसान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण मूल खातेदार यारू खां के वारिसान है। अतः प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि में हक व हिस्सा निहित है। यदि अप्रार्थीगण मुश्तरका दर्ज भूमि को आगे रहन, बेचान कर देते है तो अपूर्णाय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसलिए प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णाय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह चक 7 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 22 प.नं. 235/393 का किला नं. 1 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.327 है. भूमि कमाण्ड खातेदारी के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


शकुती

उपरोक्त अधिकारी,
श्री विजयनगर जिला न्यायालय, अनूपगढ़